

03.01.2018

राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर।

आरोपी की ओर से श्री केशव सिंह गुर्जर अधिवक्ता द्वारा एक आवेदनपत्र प्रकरण में अर्थदण्ड की राशि जमा करने बावत् प्रकरण आज सुनवाई में लिए जाने का निवेदन किया है। विचारोपरांत आवेदनपत्र स्वीकर कर प्रकरण आज सुनवाई में लिया गया। आरोपी की ओर से अर्थदण्ड की राशि रूपए 12,000/- रशीद क्रमांक 82 पर जमा किए गए। रशीद आरोपी को प्रदान की गई। प्रकरण में अब अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

प्रकरण की कार्यवाही समाप्त कर एवं परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(सतीश कुमार गुप्ता)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद